THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Assistance for Housing Schemes in Gujarat

211. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government of Gujarat has submitted to the Central Government some housing schemes for clearance and financial assistance ;

(b) if so, the number of schemes approved/rejected and still pending ; and

(c) the funds so far provided to State Government for such schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) to (c) No, Sir. Housing being a State subject, the State Governments are free to formulate their own schemes and implement them with funds from State budget and institutional finance, Goverment of India does not provide financial assistance directly to any State Government for urban housing projects.

सरकारी मकानों को किराये पर उठाया जाना

212. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में स्थित सरकारी मकानों को प्रॉपर्टी दलालों के माध्यम से किराये पर उठाया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई संवीक्षा/जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं, सरकारी मकानों को किराये पर उठाए जाने का पता लगाए गए मामलों की क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है, सरकार को अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष नियम तैयार किए हैं और क्या उन्होंने सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने का कोई प्रावधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशेष मामला नहीं आया है। तथापि, सरकारी वास को उप-किरायेदारी पर देने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) और (ग) विशेष शिकायतों के आधार पर उप-किरायेदारियों का पता लगाने के लिए सरकारी वास की आकस्मिक जांच आवधिक रूप से की जाती है। अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् उप-किरायादारी प्रमाणित होने पर सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर आबंटियों के विरुद्ध दण्ड लगाने की कार्रवाई की जाती है। जिन सरकारी क्वार्टरों के बारे में उप-किरायेदारी का पता लगा है की इलाकेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**। अब तक, सरकारी वासों को उप-किरायेदारी पर देने की लगभग 2800 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत तीन वर्षों में 1836 सरकारी क्वार्टरों की जांच की गयी। 481 मामलों में उप-किरायेदारी प्रमाणित हुई जिनका आबंटन नियमों के अन्तर्गत रद्द किया गया 1315 मामलों में उप-किरायेदारी प्रमाणित नहीं हुई। शेष 48 मामलों में जांच पूरी नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में पहले से ही इस संबंध में प्रावधान हैं। सूचना देने

वालों को पुरस्कार देने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया है।

विवरण

गत तीन वर्षों में जिन सरकारी वासों के बारे में उप-किरायेदारी का पता लगा, की इलाके-वार क्या इस प्रकार है :

क्रम सं०	कालोनी का नाम	पता लगाये गए मामलों और निरस्त किये गए आवंटनों की संख्या
1	लोधी कालोनी	5
2	डी आई जेड एरिया	20
3	लक्ष्मीबाई नगर	11
4	एम बी रोड	146
5	मोती बाग	5
6	सेवानगर	68
7	नेताजी नगर	12
8	प्रेम नगर	32
9	लोधी रोड काम्पलेक्स	31
10	सादिक नगर	3
11	आर के पुरम	68
12	आरामबाग	5
13	सरोजनी नगर	9
14	किदवई नगर	25
15	श्री निवासपुरी	20
16	मिन्टो रोड	2
17	पंचकुइयां रोड	2
18	एंड्रयूजगंज	4
19	देवनगर	2
20	तिमारपुर	11
	योग :	481

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 में संशोधन

213. **श्री दिलीप सिंह जुदेव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का विचार रखती है ताकि आवास संबंधी क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सके;

(ख) क्या इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत अवैध निर्माण कार्य तथा काले धन के प्रयोग पर नियंत्रण किए जाने की संभावना है और मध्यम तथा निम्न वर्गों को सस्ती तथा उचित दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित संशोधनों में मुख्य जोर मकान निर्माण गतिविधियों में वृद्धि अधिक भूमि का शहरी विकास करने, समाज के विभिन्न वर्गों विशेष कर कमजोर वर्गों के लिए सस्ते रिहायशी मकान बनाने हेतु भू-स्वामियों को प्रोत्साहित करने पर दिया गया है । आवास/विकास क्रियाकलापों में इस वृद्धि से अवैध निर्माण और काले धन के उपयोग पर अंकुश लगने की आशा है।

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) जून, 1990 में मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस की।